न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 62 / 2014

1–लोकेश उम्र 5 वर्ष । पिसरान बिहारी लाल जाति जाटव निवासी महंगाया
2–विपिन उम्र 3वर्ष । तहसील भरतपुर नावालिग व विलायत नाना, खुद
कालीचरन उम्र 50 वर्ष उम्र 50 साल पुत्र रामदयाल
निवासी नगला जामुन तहसील मांट जिला मथुरा यूपी

....अपीलान्ट

बनाम

1–लक्ष्मन पुत्र नथी जाति जाटव निवासी मंहगया तहसील व जिला भरतपुर
2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्व आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 13.2.2014 बाबत नामान्तकरण संख्या 1043 बाके ग्रांम मंहगाया तहसील भरतपुर ।

———

उपस्थितः–
1–श्री तालेराम ,अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री दिनेश शर्मा , अभिभाषक रेस्पो0

आदेश दिनांक 23.01.2018

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर नामान्तकरण संख्या 1043 ग्रांम मंहगाया तहसील भरतपुर दिनांक 13.2.2014 के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नामान्तकरण संख्या 1043 निरस्त किये जाने की आज्ञा दी गई है। तहसीलदार भरतपुर उक्त आज्ञा से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी की गई। उभय पक्ष की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि अपीलाधीन नामान्तकरण 1043 रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर खोला जाकर स्वीकार किया गया है। रजिस्टर्ड दान पत्र किसी भी कोर्ट से केन्सिल नहीं हुआ है। यह दान पत्र लक्ष्मनसिंह ने किया है जो बच्चों के बाबा है और आराजी के खोतदार काश्तकार हैं। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार का यह लिखना कि राजस्थान के बाहर के

.....2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

व्यक्ति को दान दिया गया है नियमों के विपरीत है, दान किसी को भी दिया जा सकता है। उनका तर्क है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि कि राज्य का व्यक्ति दूसरे प्रदेश के व्यक्ति को अपनी भूमि दान या विक्रय नहीं कर सकता । तहसीलदार ने नियमों के विपरीत दाखिल खारिज निरस्त किया है। उनका यह भी तर्क है कि बच्चे जब तक नाबालिग हैं तब कि नाना की सरपरस्ती रहेगी बालिग होने के बाद दान भूमि स्वतः बच्चों के नाम आजायेगी। अपील की देरी को माफ करने के लिये म्याद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र धारा 5 पेश किया गया है। देरी के सम्बन्ध में उन्होने बताया कि खेती को बुवाने आये तो इस आदेश की जानकारी हुई नकल लेने से अपील अन्दर म्याद शुमार की जावे। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर नामान्तकरण को मुताविक दानपत्र अपीलान्ट के हक में स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपील म्याद बाहर पेश की गई है। म्याद बाहर होने से अपील खारिज योग्य है। आराजी को अपीलान्ट के नाना कालीचरन को दान की गई है जो गलत है बच्चों के बाबा माजूद हैं दान की आवश्यकता नहीं थी। दानग्रहीता राजस्थान के बाहर का उत्तर प्रदेश का निवासी है। नाबालिग बच्चों की आराजी को दानग्रहीता नाना खुर्द बुर्द कर देगा। नाबालिगों के हक एवं दानगृहिता के उत्तर प्रदेश का होने के कारण तहसीलदार भरतपुर ने नामान्तकरण सही खारिज किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित नामान्तकरण संख्या–1043 ग्रांम महंगाया का अवलोकन किया गया। प्रथमतः म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 मय शपथ पत्र पेश किया गया है। रेस्पो. की ओर से इसके विरोध में कोई जबाब काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में प्रतिपादित किया है कि :–

Limitation Act, 1963, S.5 - Dismissal of appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case - Legality of-Held, now it msut be taken as well settled Principal of law that before rejecting applications u/s 5, and dismissing appeals as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. (Para 19)

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–
" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

.....3

उक्त नज़ीरों को मध्यनजर रखते हुये अपील को अन्दर म्याद मानते हुये। अपील की मैरिट पर विचार किया गया। नामान्तकरण के कॉलम नम्बर 9,14 व 15 में हो रहे इन्द्राज से स्पष्ट है कि विवादित नामान्तकरण पटवारी हल्का ने रजिस्टर्ड दान के आधार पर अपीलान्ट नाबालिग सरपस्ती नाना खुद कालीचरन निवासी नगला मामुन तहसील मांट जिला मथुरा के नाम दर्ज किया गया है। तहसीलदार भरतपुर की यह आज्ञा कि दान पत्र राजस्थान के बाहर के व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया गया है जो नियम विरुद्व बताते हुये दाखिल खारिज को अस्वीकार किया गया है। तहसीलदार ने अपने आज्ञा को किसी नियम या कानून से समर्थित नहीं किया है। मात्र यह लिख देना की राजस्थान के बाहर के व्यक्ति ने दान ग्रहण किया है इस लिये नामान्तकरण खारिज किया जाता है। अपीलाधीन आदेश नानस्पीकिंग आदेश की परिभाषा में आता है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. द्वारा भी हमारे समक्ष ऐसा कोई कानून नियम पेश नहीं किया गया है जो तहसीलदार भरतपुर की आज्ञा को समर्थित करता हो। मेरी विनम्र राय में तहसीलदार भरतपुर का अपीलाधीन आदेश समर्थन योग्य नहीं रहता है। अस्तु अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को विधिवत नामान्तकरण स्वीकार किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील स्वीकार की जाती है। प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकार को सुनकर दान पत्र के आधार पर नियमानुसार आज्ञा पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 23–01–2018 को सुनाया गया।

{ डॉ.एन.के.गुप्ता }
जिला कलक्टर
भरतपुर